

राजस्थान के अन्तर्गत डाक  
कंगड़ भूगतान (विना डाक  
टिकट) के प्रेपाण हेतु अनुमति, क्रमांक  
जी. 2-22, छत्तीसगढ़ गजट/38 मि. से.  
भिलाई, दिनांक 30-5-2001।

पंजीयन क्रमांक  
छत्तीसगढ़ दुर्ग/09/2010-2012।



# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 256 ]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 25 मितम्बर 2010—आश्विन 3, शक 1932

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग  
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2010

### अधिसूचना

क्रमांक 5062/1405/18/2010.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 317-अ सहपाठित धारा 433 तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 355 एवं 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

### नियम

#### 1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ।—

- (1) ये नियम “छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (सेल्यूलर मोबाइल फोन के लिये अस्थाई टावर या संरचना का निर्माण) नियम 2010” कहलाएंगे।
- (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**परिभाषाएं :**— इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

- (1) “अधिनियम” से अभिप्रेत हैं छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961)

- (2) “आवेदक” से अभिप्रेत है, कोई भी आवेदक जो किसी मंस्था या कम्पनी का अधिकृत प्रतिनिधि यथा अध्यक्ष, सचिव, जनरल मैनेजर या किसी अन्य पदनाम का हो, जो किसी नगरपालिका क्षेत्र में दूरसंचार के प्रयोजन हेतु टावर/रिले स्टेशन स्थापित करने हेतु इच्छा रखता हो।

- (3) "आयुक्त" से अभिप्रेत है, जिसी नगरपालिका नियम का आयुक्त।
- (4) "मुख्य नगरपालिका अधिकारी" से अभिप्रेत है, नगरपालिका परिपद या नगर पंचायत का मुख्य नगरपालिका अधिकारी।
- (5) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, नगर नियम के मामले में आयुक्त एवं नगरपालिका परिपद तथा नगर पंचायत के मामले में मुख्य नगरपालिका अधिकारी।
- (6) "प्रारूप" से अभिप्रेत है, इन नियमों के संलग्न प्रारूप (प्रारूपों)।
- (7) "शासन" से अभिप्रेत है, राज्य शासन।
- (8) "नगरपालिका क्षेत्र" से अभिप्रेत है, पैसा प्रादेशिक क्षेत्र जो किसी नगरपालिका नियम, नगरपालिका परिपद या नगर पंचायत की सीमा के भीतर आता हो।
- (9) "नगर पालिका" से अभिप्रेत है, तत्समय विद्यमान नगरपालिका नियम, नगर पालिका परिपद या नगर पंचायत।
- (10) "अधिभोगी" से अभिप्रेत है, किसी भी भूमि या भवन का स्वामी।
- (11) "अनुज्ञा" से अभिप्रेत है, इन नियमों से सुसंगत एवं उसके अंतर्गत प्रदान की जाने वाली/प्रदान की गई, कोइ भी अनुज्ञा।
- (12) "सार्वजनिक स्थान" से अभिप्रेत है, कोई भी ऐसा स्थान जो निजी सम्पत्ति न हो और जो जनता के उपयोग के लिए खुला हो चाहे ऐसा स्थान नगरपालिका में वेष्टित हो या न हो।
- (13) "टॉवर" से अभिप्रेत है, सेल्यूलर फोन दूरसंचार प्रणाली हेतु स्थापित कोई अस्थाई टावर/संरचना।
3. विस्तार तथा लागू होना :— ये नियम छोटीसगढ़ राज्य में समस्त नगरपालिका नियमों, नगर पालिका परिपदों एवं नगर पंचायतों प्रवृत्त होंगे।
4. टॉवर स्थापित करने अथवा उसके नवीनीकरण हेतु आवेदक, प्रारूप-“एक” में आवेदन नगरपालिका कार्यालय में प्रस्तुत करेगा, जिसका साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होंगे :—
- (1) भवन स्वामी की सहमति तथा उसके साथ करारनामा।
  - (2) इन नियमों द्वारा यथा विहित अनुज्ञा शुल्क/नवीनीकरण शुल्क जमा करने के साक्ष्य स्वरूप रसीद।
  - (3) रिक्त भूमि में टॉवर स्थापित किया जाना प्रस्तावित होने की दशा में भूमि स्वामी की सहमति तथा उसके साथ करारनामा।
  - (4) टॉवर की स्थापना हेतु भवन तथा टॉवर की सम्बद्ध ड्राइंग तथा संरचनात्मक सुरक्षा (स्ट्रक्चरल सेफ्टी) व स्थिरता से संबंधित प्रमाण पत्र किसी क्वालीफाईड स्ट्रक्चरल इंजीनियर से तैयार कराना, जो निम्नलिखित किसी संस्था का हो :—
    1. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान राष्ट्रपुर्।
    2. किसी भी शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से प्रमाण पत्र।
  - (5) अन्य कोई प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जायेगा।
  - (6) हाईटेशन विद्युत लाईन के समीप टॉवर होने की स्थिति में यथार्थ दूरी का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।
  - (7) क्षतिपूर्ति बंधपत्र में यह स्पष्ट वर्णित होना चाहिए कि आवेदक, किसी भी हानि या कारित क्षति या किसी सिविल या आपाराधिक कार्यवाहियों के परिणाम के लिए पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा।

- (7) જહાં કહીં ભી આવશ્યક હો, વહાં માર્ગમં પ્રદાયકતાં એયરપોર્ટ અર્થાંસ્ટી આફ ડેર્ટિયા ને એયર ટ્રેફિક કંટ્રોલર સે અનાપત્તિ પ્રમાણ પત્ર પ્રાપ્ત તથા પ્રસ્તુત કરેગા. ઇસી પ્રકાર પ્રાચીન/પ્રતિહામિક ઇંમારતો કે પાસ ટૉવર સ્થાપિત કરને કી દશા મેં પુરાતન વિભાગ સે અનાપત્તિ પ્રાપ્ત કર સંલગ્ન કરના હોગા.
- (8) સંવેદનશીલ ભવનોં તથા મંત્રાલય, વિધાન સભા, ગજભવન, મુખ્યમંત્રી નિવાસ, ઉચ્ચ ન્યાયાલય તથા જિલ્લા ન્યાયાલય કે 100 મોટર કી પરિપિત્ત કે પીતર ટૉવર સંસ્થાપિત કિયા જાના પ્રસ્તાવિત હોને કી રિષ્ટિત મેં સંવંધિત વિભાગ, ગૃહ વિભાગ સે અનાપત્તિ પ્રમાણ પત્ર અભિપ્રાપ્ત કરેંગે તથા તુસે સંલગ્ન કરના હોગા.
- (i) પ્રલ્યેક ટૉવર/રિલે સ્ટેશન કે ઊપર લાલદાની સિગનલ સ્થાપિત કિયા જાના ચાહિએ ઔર પ્રલ્યેક ટૉવર રિલે સ્ટેશન કે લિએ રંડિત ચાલક યંત્ર (લાઈટનિંગ કન્ડ્યુક્ટર) સ્થાપિત કિયા જાના અનિવાર્ય હોગા.
- (ii) અનિન દુર્ઘટના સે બચાવ કી પર્યાસ વ્યવસ્થા કી જાની ચાહિએ.
- (iii) ટૉવર કે પાસ લાગે જનગટર સેટ દ્વારા ઉત્પત્ત વાયુ તથા ધ્રુવનિ પ્રદૂષણ દ્રનીસગઢ ગજ્ય પર્યાવરણ સંરક્ષણ મંડલ કે માનદંડ કે અનુસાર નિશ્ચિત હોના ચાહિએ.

અનુઝા શુલ્ક/નવીનીકરણ શુલ્ક તથા જહાં હો, વહાં સમર્ઝીતા શુલ્ક નિમાનુસાર હોગા :—

નગર પાલિકા	અનુઝા શુલ્ક (એક વાર)	વાર્ષિક નવીનીકરણ શુલ્ક	સમર્ઝીતા શુલ્ક
નગરપાલિકા નિગમ	રૂ. 73,000/-	રૂ. 15,000/-	અનુમતિ શુલ્ક કા 15
નગરપાલિકા પરિપદ	રૂ. 50,000/-	રૂ. 10,000/-	સે 50 ગુણા.
નગર પંચાયત	રૂ. 25,000/-	રૂ. 5,000/-	

પશ્ચાત્વતો વાર્ષો કે લિએ નગરપાલિકા નિગમ, નગરપાલિકા પરિપદ અથવા નગર પંચાયત કે દ્વારા યથા રિષ્ટિત પ્રભારિત કિયે જાને વાલી અનુઝા શુલ્ક, વાર્ષિક નવીનીકરણ શુલ્ક તથા સમર્ઝીતા શુલ્ક મેં ગજ્ય શાસન સમય-સમય પર વૃદ્ધ કર સકેગા.

નાંનિ (નાંનિન) નો સ્થાપના મંવંધી શિક્ષાયત પ્રાપ્ત હોને કી દશા મેં તું જાંચ પડ્યતાલ (અનુસંધાન) હેતુ મહાનદેશક, સેલ્વલાં આંપે-અસ્ટ્રેસાંસાગન ઔફ ડેર્ટિયા ઓંગ મહારાસાચચ, એમોરિએશન આંક વેસિક ટેલોકાર્મ સર્વિસેસ કો નિર્દિષ્ટ કિયા જાનેગા એવ ઉનમે પ્રાપ્ત અનુંગસાઓ કે અનુઝા અધ્રિમ કાર્યવાહી કી જાયેગી.

અનુઝા નિયમો કે અંતર્ગત સ્વીકૃત કી ગઈ કિસી ભી અનુઝા કે બારે મેં યદ્યનહોંની સમજા જાણા કી વહ ડિફિયન ટેલોગ્રાફ એક્ટ, 1885, ડિફિયન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એક્ટ, 2003 તથા ડિફિયન વાગરલેસ ટેલોગ્રાફે એક્ટ, 1933 કે અંતર્ગત જારી કિસી આદેશ કો પ્રભાવિત કરેગી.

સ્થાનીય નગરીય નિકાય કો સમસ્ત એંગે ટૉવરોં/સંગ્રહનાઓ પર કાર્યવાહી કરને એવં તુસે હદાને કી અધિકાર હોગા, જિસે જનહિત એવં મુગદ્ધા યા નિયમો કે વિશુદ્ધ સમજા જાયે.

પ્રસ્તાવિત ટૉવર કે આસ-પાસ યદિ કંઈ ડાબ, વિદ્યુત લાઇન યા જિસ્ટાદાબ વિદ્યુત લાઇન યા વિદ્યુત કે ચિતરણ કે લિએ પ્રયુક્ત કંઈ અન્ય વિદ્યુત લાઇન હોને કી દશા મેં તુક વિદ્યુત લાઇનોં તથા પ્રસ્તાવિત ટૉવરોં કે બીચ મેં સુરક્ષાત્મક દૂરી કો વનાયે રહેને કી દાયિત્વ આવેદક કી હોગા જૈસા કી ભારતીય વિદ્યુત અધ્યાનિયમ, 2003 મેં પરિભાસિત કિયા જાયે.

ભવનો પર ટૉવર સ્થાપિત કરને હેતુ સમસ્ત અન્ય શર્તોને પાલન હોને કે પશ્ચાત્ નગર પાલિકા સે અનુઝા સ્વીકૃત કી જાયેગી. વિના અનુઝા પ્રાપ્ત ભવનોં પર યદિ ટૉવર લગાયા જાતું હૈ તો એસી દશા મેં એસે ટૉવર (ટૉવરો) કો વિધિ સમ્મત પ્રક્રિયા કે અધીન હઠાયે જાને કે દૌંશન હુએ કિસી નુકસાન કે લિયે નગર પાલિકા જિમ્બેદાર નહીં હોગા તથા ઇસ સંવંધ મેં સેલ્વૂલર આંપેરેટર, નગર પાલિકા કો ક્ષતિપૂર્ણ કરેગા.

શીક્ષણિક સંસ્થાનોં તથા અસ્પાતાલોની ડિસ્ટેન્સેરી દ્વારા પ્રયુક્ત ભવનોં મેં ટૉવર કી સ્થાપના કે લિએ અનુઝા સ્વીકૃત નહીં કી જાયેગી.

१४. मोबाइल टॉवर/रिले टॉवर लगाने हेतु आरक्षित १० प्रतिशत भूमि तथा मार्गों के लिये चिन्हित भूमि के अंतर्गत आर्का खुले स्थानों के आरक्षित भूमि को छोड़कर किसी भी खुली भूमि के संबंध में अनुज्ञा स्वीकृत की जा सकती है, किसी योजना के अंतर्गत १० प्रतिशत भूमि आर्का खुले स्थान के संबंध में अनुज्ञा स्वीकृत नहीं की जायेगी।
१५. अनुज्ञा का प्रमाणपत्र, इन नियमों के संलग्न प्रारूप-दो में जारी किया जायेगा तथा नगरपालिका को यह अधिकार होगा कि कोई स्थान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अन्य शर्त आरोपित करें। आवेदक, नगर पालिका द्वारा समय-समय पर जारी समस्त निर्देशों पालन करने के लिए वाध्य होगा।
१६. अनुज्ञा की स्वीकृति आवेदन के अमान्य किये जाने की दशा में नियम ६ के अधीन जमा किये गये अनुज्ञा शुल्क की राशि, उसमें से प्रतिशत राशि वरी कटौती करने के पश्चात् आवेदक को वापस की जाएगी।
१७. इन नियमों के प्रवृत्त होने के पूर्व जारी कोई भी आदेश या निर्देश, इन नियमों के अंतर्गत जारी आदेश या निर्देश समझे जायेंगे, जहां त इन नियमों से असंगत न हो।

परन्तु, ऐसे नियमों के अधीन जारी किया गया कोई भी आदेश या कोई गई कोई कार्यवाही इन नियमों के अंतर्गत नहीं हो सकती। इन नियमों के अधीन जारी किया गया कोई भी आदेश या कोई गई कोई कार्यवाही समझी जायेगी।

१८. टॉवर का अधिकतम उपयोग और क्षेत्र में टॉवरों की संख्या कम करने की दृष्टि में, एकल टॉवर पर उसी या अन्य कम्पनी के द्वारा एक से अधिक एरियल (एन्टेना) संस्थापित किया जा सकेगा। ऐसी दशा में प्रत्येक इच्छुक कम्पनी को, विद्यमान टॉवर में अपने एरियल (एन्टेना) संस्थापित करने हेतु नियम ६ के अंतर्गत विहित अनुज्ञा शुल्क का ६० प्रतिशत जमा करने के पश्चात् नगर पालिका से अग्रिम अनुमति अभिप्राप करना अपेक्षित होगा, नवीनीकरण शुल्क की गणना भी तदनुसार होगी।
१९. केबल लाइन विद्युत हेतु सड़क खोदने की अनुमति देने तथा टॉवर स्थापित करने हेतु अनुज्ञा स्वीकृत के लिए सक्षम प्राधिकारी सशक्त होंगे।
२०. यदि नगर पालिका आवेदन की प्रस्तुति के दो माह के भीतर अपने निर्णय से आवेदक को संसृचित करने में असफल रहती है तो यह माना जायेगा कि अनुज्ञा दे दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अमित कटारिया, उप-सचिव,

प्रारूप-एक  
(देखिये नियम 4)

सेल्यूलर फोन के लिये टावर स्थापित करने हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

1. आयुक्त  
नगर पालिका निगम,  
.....
2. मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत  
.....
1. मैं/हम मेसर्स ..... को ओर से आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने हेतु  
अधिकृत प्रतिनिधि हैं और निम्नानुसार आवेदन प्रस्तुत करते हैं।
  1. नियम ..... के अंतर्गत निकाय क्षेत्र में सेल्यूलर फोन टावर स्थापना की अनुमति हेतु।
  2. विद्यमान अनुमति क्र ..... दिनांक ..... जो दिनांक ..... को समाप्त हो रही हो के नवीनीकरण हेतु।
  3. विद्यमान टावर में अतिरिक्त एटोना लगाये जाने की अनुमति हेतु।
2. आवेदन के समर्थन में निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत है।
  - 1 आवेदक का पूरा नाम पता एवं संपर्क सूत्र
  - 2 संरचना
  - 3 व्यवसाय का विवरण
  - 4 आयकर पैन नम्बर
  - 5 आवेदक के स्थानीय प्रतिनिधि का पता एवं फोन नम्बर
  - 6 भारत सरकार द्वारा जारी संचार सेवा प्रदाता का पंजीयन संबंधी विवरण
  - 7 टॉवर स्थापित किये जाने हेतु प्रस्तावित स्थल का विवरण
  - 8 यदि प्रस्तावित स्थल संवेदनशील है तो उसका विवरण
  - 9 टॉवर स्थापित किये जाने हेतु प्रस्तावित स्थल/भवन का विवरण
  - 10 प्रस्तावित स्थल/भवन के भूमि स्वामी/भवन स्वामी का नाम एवं पता
  - 11 प्रस्तावित टॉवर का भौतिक मानदंड

- 12 यदि विद्यमान टॉवर में अतिरिक्त एनीमा प्रस्तावित हो तो—  
(अ) विद्यमान टॉवर का विवरण एवं अनुज्ञा संबंधी विवरण
- 13 प्रस्तावित मृश्ल एवं आम पास गुजरने वाली एच.टी./एल.टी. ओवरर  
हेड लाइन एवं सर्वांग लाइन का विवरण.
- 14 टॉवर के साथ स्थापित किए जाने वाले जनरेटर व अन्य सहायक  
उपकरणों का विवरण.
- 15 आवेदन के साथ संलग्नकों का विवरण
- 16 जमा कराए गए अनुज्ञा/नवीनीकरण शुल्क का विवरण
- 17 अन्य कोई जानकारी जो आवेदक उपलब्ध कराना चाहें

मेरे/हमारे द्वारा नियमों को पढ़कर समझ लिया गया है एवं उनका पालन करने के लिए चाध्य है। उपरोक्त हमारे द्वारा प्रदाय  
की गई जानकारी मेरे/हमारे ज्ञान के अनुसार सही एवं सत्य है।

भवदीय

आवेदक प्रतिनिधि का नाम  
पटनाम एवं सील महित हस्ताक्षर

प्रारूप-दो  
(देवित्यनि नियम 17)

अनुज्ञा प्रमाण-पत्र

अनुज्ञा क्रमांक .....

..... के अंतर्गत श्री/महार्जन ..... को सम्मुलर फोन  
जर के स्थापित किए जाने हेतु निम्नलिखित स्थान और नियम शर्तों के अंतर्गत अनुज्ञा प्रदान की जाती है :—

1. टॉवर की मिथिति

अनुज्ञा की नियम एवं शर्तें

1.

2.

3.

4.

5.

6.

सक्षम प्राधिकारी का हस्ताक्षर एवं सील

## क्षतिपूर्ति बंधपत्र

मैं ..... आत्मज .....  
 विवासी ..... मे.  
 की ओर से यह क्षतिपूर्ति बंधपत्र निर्णायित करता हूं, यह है मेरे द्वारा श्री ..... के भूखंड  
 जो कि ..... में खसरा क्रमांक ..... में ..... स्थित है, पर सेल्यूलर टावर स्थापित करने हेतु भूखंड/भवन स्वामी की सहमति के साथ आयुक्त नगर पालिका निगम  
 मुख्य नगर पालिका अधिकारी ..... के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

यह कि सेल्यूलर टावर स्थापना की अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु मैं यह क्षतिपूर्ति करने का चक्षन देता हूं कि नगर पालिका निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत को किसी न्याशालयों/संवैधानिक संस्थाओं में परिवाद की स्थिति से मुक्त रहेगा एवं अग्नि दुर्घटनाओं या कर्मचारियों की लापरवाही और प्राकृतिक/अन्य कारणों से उत्पन्न आपदा/दुर्घटनाओं से होने वाली क्षति, हानि टूट-फूट से हुए नुकसान की पूर्ण जिम्मेदारी रहेगी।

मैं यह भी अभिलिखित करता हूं कि क्षतिपूर्ति बंधपत्र को उपरोक्त नियम/शर्तों का पालन करने हेतु कंपनी वाध्य रहेगी।

इमाइथ/सील

आवेदक/अधिकृत प्रतिनिधि

फर्म कंपनी

(पचास रुपये के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर नोटरी द्वारा अभिप्रायाप्त)